# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

## रे0मि0 अपील वाद सं0 49/2021–22

संजय कुमार यादव.....अपीलकर्त्ता

बनाम

कुलदेव प्रसाद यादव.....उत्तरकारी।

### आदेश

25.03.2022

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 (पी0ए0) वाद सं0–618/2007–08 में पारित आदेश दिनांक–06.09.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

**वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :–**

(1) मौजा चिचहरा अंचल सरैयाहाट एक प्रधानी मौजा है। मौजा के अंतिम प्रधान हरि उर्फ हाड़ी महतो थे।

(2) उनके तीन पुत्री भुखली देवी, भदवा महतोवाईन उर्फ भदवा देवी एवं महकामा देवी तथा एक पौष्य पुत्र लिया गया पुत्र चेतलाल यादव द्वारा प्रधान पद हेतु आवेदन दाखिल किया गया था। भुखली देवी एवं महकामा देवी की मृत्यू हो चुकी है। महकामा देवी की मृत्यु के पश्चात् अपीलकर्त्ता को पक्षकार बनाया गया है।

(3) अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा दिनांक–03.04.2008 को इस वाद में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0– 31/2008–09 में दायर किया गया, जिसमें दिनांक–21.07.2015 को आदेश पारित किया गया एवं वाद को पुर्नविचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका में प्रतिप्रेषित किया गया।

(4) अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में वाद को पुनः आरंभ करते हुए अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं दिनांक–06.09.2021 को आदेश पारित किया गया। भदवा महतोवाईन को अधिक उम्र होने के कारण योग्य उम्मीदवार नहीं माना गया तथा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध सरैयाहाट थाना में भा0द0वि0 की धारा–147/323/448 एवं 379/34 के तहत्

प्राथमिकी दर्ज रहने एवं Bail Bond दाखिल कराते हुए आरोप मुक्त किये जाने के कारण उनको प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु उचित नहीं माना गया।

(5) पूर्व प्रधान के पौष्य पुत्र चेतलाल यादव के विरूद्ध पौष्य पुत्र रद्द करने हेतु Senior Judge III के न्यायालय में T.S. Case No. 106/2005 लंबित रहने के कारण उन्हें भी प्रधान पद के लिए योग्य नहीं माना गया।

(6) उत्तरकारी पूर्व प्रधान के प्रथम पुत्री के पुत्र होने के नाते तथा अंतिम प्रधान के Nearest heir के अन्तर्गत होने के कारण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील आवेदन दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

**अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–**

(1) विद्वान उपायुक्त, दुमका द्वारा रे0मि0 अपील वाद सं0–31/2008–09 में पारित आदेश दिनांक–21.07.15 के अुनसार सिर्फ अपीलकर्त्ता प्रधान पद के लिए योग्य है। उत्तरकारी द्वारा कोई वाद दायर नहीं किया गया था।

(2) उत्तरकारी पारा (सहायक) शिक्षक के पद पर अंचल–मोहनपुर जिला–देवघर में कार्यरत है।

(3) उत्तरकारी के विरूद्ध P.S Case No 86/2013/GR Case No 490/2013 लंबित है।

ऐसी स्थिति में उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

**उत्तरकारी एवं 16 आना रैयतों की ओर से प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–**

(1) उत्तरकारी के विरूद्ध U/S 341, 342, 504, 323, 506 I.P.C के अन्तर्गत वाद लंबित रहने का आरोप गलत है।

(2) 16 आना रैयत उन्हें प्रधान पद पर चाहते है।

(3) वह मौजा चिचहरा में निवास करता है और प्रधान के कार्यो का निष्पादन करता है।

(4) अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के तृतीय पुत्री के पुत्र है, जबकि उत्तरकारी प्रथम पुत्री के पुत्र है।

ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है एवं अपील वाद खारीज करने के योग्य है।

उत्तरकारी एवं 16 आना रैयतों की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया है।

<u>प्रावधान</u>

**Sec-6 Landlord to report the death of village headman.** – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

पुनः यह भी उल्लेख है कि:–

"The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman."

**ठाकुर हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1980 BLJR 448: 1980 BLJ 212 (DB) के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि :-**

*'authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only afier rejecting the hereditary claim.'*

पुनः बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1998 (1) PLJR 43 में स्थापित है कि :–

*"the headman's duty it is self evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on government postings and came to the village only intermittently"*

इसी प्रकार से महिपाल मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य, 2003 2 जे0एल0जे0आर0 275, के वाद में यह निर्णय दिया गया है कि यदि 'Head Man died then he may leave successor or he may not leave successor and if he does not leave successor then a fresh step under the Rules has to be
taken for appointment of a new Head Man. But if he has left some heirs then the question of acceptability of that heir is to be determined as per the Rules. Obvious it is that this acceptability can be ascertained from the will of 2/3 of Jamabandi Raiyats. Rule 3(1) provides that first of all a notice has to be given to 2/3 Raiyats (which ordinarily is called 16 anna raiyats) and if they do not turn up then subsequent notice has to be given and if even thereafter they do not turn up then the Deputy Commissioner will decide the matter rejecting the application made under Section 5.'

इसी प्रकार से **Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724.** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय के **Division Bench** द्वारा स्थापित किया गया है कि :–

**"Section-6** refers to the appointment of a Headman of a village which is not a khas village, by providing that on the death of Headman, the same has to be reported within three month of the death to the Deputy Commissioner with a view to appoint a village Headman in the prescribed manner. It is in this context that the clause in Schedule V are relevant and Clause 4 thereof clearly shows that the next of their of the deceased Headman, unless he is disqualified, shall be the successor Headman of the village. The procedure laid down in Rule 3 of the General Rules is seen to relate to the appointment of Headman on application under section 5 of the Act."

पुनः उक्त वाद में यह भी उल्लेखित है कि :–

"**Section-5** relates to the appointment of village Headman of a *khas* village. In the case on hand, the village is not *khas* village. Therefore, the office of the Pradhan, Prima facie, is hereditary in nature and the next heir who is fit, is entitled to be the headman, But Rule 3(5) of the General Rules prescribes that in making the appointment of a Headman under

section 5 or 6 of the Act, the Deputy Commissioner shall ,as far as, possible, follow the rules prescribed in Schedule V except where the rules, of which clasue 3 forms a part, expressly or by necessary implication, provides otherwise."

## निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजात, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उत्तरकारी को पूर्व प्रधान के Nearest heir पाने के कारण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, किन्तु वह पारा शिक्षक के रूप में देवघर जिला अन्तर्गत मोहनपुर प्रखंड में कार्यरत है, जो एक पूर्णकालिक कार्य है तथा उक्त के लिए अलग से "Consideration"/ मानदेय पूर्व निर्धारित है। प्रधान का कर्तव्य एवं अधिकार के संदर्भ में उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना, **Babulal Hembrom Vrs Bihar 1998 (1) PLJR 43 : 1998 (1) All PLR 227 (Pat) :- में आदेश पारित किया गया है जो निम्न प्रकार है :–**

"From a perusal of the headman's duties it is self-evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on Government postings and came to the village only intermittently. The headman has, in fact, a long list of duties which can be duty discharged only by a person living the concerned village. Thus, the results of his appointment would be that he would be enjoying the social status and prestige and he and his family members would be deriving the many benefits attached to that office but he would not be discharging most of the duties of the headman. In the light of the above discussion, the Court was of the considered view that only a person regularly residing in the village can be considered to be suitable candidate for the office of the headman."

अतः SPT Act के धारा 5 एवं 6 तथा Schedule V of the Santhal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 एवं उपर वर्णित के सम्यक विवेचन से यह स्पष्ट है कि उत्तरकारी पूर्णकालिक प्रधान के रूप में सेवा नहीं दे पायेंगे।

## आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधान तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रति प्रेषित किया जाता है कि संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के शिड्युल v में उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए पूर्व प्रधान के वंशजों में से अन्य दावेदार के प्रधान नियुक्ति पर विचार किया जाय।

1960 Bdt
10/10/22

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.10 13:08:25 +05:30
Location: 169.254.227.244